भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 979

सोमवार, 10 फरवरी, 2025 / 21 माघ, 1946 (शक)

ग्रामीण एवं कृषि मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

979. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण एवं कृषि मजदूरों के उत्थान के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ईएसआई योजना के अंतर्गत लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस लाभ हेतु लागू की गई योजनाओं के नाम और कुल आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि मजदूरों की शिक्षा, जीवन स्तर तथा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं अतिरिक्त कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ग्रामीण और खेतिहर मजदूरों के उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (ii) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेवाईएम) (iii) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (v) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (vi) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (vii) दीन दयाल अंत्योदय योजना (viii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ix) पीएमस्वनिधि (x) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (xi) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (xii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (xiii) आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें फार्म श्रमिकों सहित कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएँ भी चलाती हैं। योजनाओं के लिए बजट आबंटन और व्यय संबंधित योजनाओं के उपबंधों के अनुसार होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हैं, जो 21,000/- रुपए (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपए) तक वेतन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

*****